नगर समूह की आबादी 3.31 मिलियन थी, इसलिए अहमदाबाद नगर समूह मेगा शहर स्कीम में शामिल करने के योग्य नहीं है।

(क) जी, हां। मेगा शहर स्कीम के तहत अहमदाबाद को शामिल करने का अनुरोध गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ है। क्योंकि 1991 की गणना के अनुसार अहमदाबाद नगर समूह 4 मिलियन आबादी का मूल मानदण्ड पूरा नहीं करता है, इसलिए मेगा नगर स्कीम के तहत अहमदाबाद को शामिल करने पर विचार करना संभव नहीं था। राज्य सरकार को स्थिति की सूचना भेज दी गई थी।

Clearance of water supply projects of Gujarat

1079. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of water suply projects of Gujarat cleared during 1993-94, 1994-95 and 1995-96;

(b) the detail of other proposals pending with the Union Govenment at present; and

(c) by when these proposals are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The details of 8 water supply schemes cleared during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 under Centrally sponsored Accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP) in the State of Gujarat is at Statment-I. (*See* below).

(b) and (c) Under AUWS Programme, the State Government had forwarded proforma proposals in respect of 11 towns (details are at statement-II (*See* below) which were examined from technical angle and State Government requested to prepare detailed project reports incorporating the necessary technical details as stipulated in the guidelines of AUWS Programme. These would be considered only after the clarifications/modified reports are received from the State Government.

Statment-I

PROJECTS SANCTIONED

Rs. (in lakhs)

S.No.	Name of Town	Sanctioned	Project cost
1.	Dharampur	(1993-94)	54.00
2.	Bantva	"	38.50
3.	Dhrol	"	132.00
4.	Okha Port	"	14.60
5.	Jodia	"	110.25
6.	Mendarda	"	49.00
7.	Barwala	(1995-96)	90.94
8.	Surajkaradi	"	18.20
	TOTAL		508.09

Statement-II

Proforma proposals sent for Clarification/ Modification

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Name of Town	Project Cost
1.	Salaya	81.00
2.	Bhanwad	361.00
3.	Ranavav	55.00
4.	Adityana	56.00
5.	Kutiyana	80.00
6.	Vanthali	149.00
7.	Visavadar	72.00
8.	Khedbrahma	71.00
9.	Kheralu	38.00
10.	Chikhali	75.00
11.	Devgadh-Baria	68.00
	TOTAL	1106.00

दिल्ली में निर्धनों के आवास के लिए धनिकों पर करारोपण

1080. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 के "पायोनियर" में "टैक्सिंग रिच फार हाउसिंग पुअर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली में धनी लोगों से कर-संग्रहण करके निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो धनी लोगों की पहचान करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किया है और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि वार्षिक रूप से एकत्र करने का लक्ष्य है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू.वेंकटेस्वरलू) (क) जी, हां।

(ख) गरीबों की आवास अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए, 7 से 9 अक्टूबर, 1996 तक हुए राष्ट्रीय आवास सम्मेलन ने अन्य के साथ-साथ, विलासमय आवास पर कर लगाने की सिफारिश की है। इसीलिए, राज्य सरकारों से (जी.एन.सी.टी.डी. को शामिल करते हुए) शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए" आश्रय कर लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया।

(ग) "आश्रय कर" लागू करने पर निर्णय लेना और एतदर्थ मानदण्ड का निर्धारण करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का काम है। भारत सरकार द्वारा एकत्रित की जाने वाली वार्षिक राशि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

सरकारी मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची

1081. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सरकारी कर्मचारी इस समय सरकारी मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) इन कर्मचारियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनायी जा रही हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में सरकारी मकानों के निर्माण से सम्बन्धित अनुमोदित प्रस्तावों में किस-किस वर्ग के लिए कितने-कितने मकानों के निर्माण का प्रावधान है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि नये प्रस्तावों के अनुरूप बनाये जा रहे मकानों में टाइप IV और ऊपर के मकान हैं; यदि हां, तो टाइप III और नीचे के मकानों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा॰ यू. वेंकटेस्वरलू): (क) सामन्य पूल रिहायशी वास के आवंटन हेतु आवेदन प्रति बंधित आधार पर प्रति दो वर्षों के बाद पात्र सरकारी कर्मचारियों से मांगे जाते हैं। आवंटन वर्ष 1.6.98 से 31.12.98 तक दिल्ली में विभिन्न टाइपों के मकानों हेतु 1.7.97 तक कुल 46498 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 से शुरू हो रही नौवीं योजना के प्रस्तावों में सामान्य पूल रिहायशी आवास स्कीम हेतु 500 करोड़ रू॰ की राशि निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत के विभिन्न शहरों में उपरोक्त योजना अवधि के दौरान लगभग 10,000 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।